भारत सरकार की महत्वपूर्ण ''जल जीवन मिशन'' योजना के क्रियान्वन हेतु जनपद--शाहजहाँपुर में गठित ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' (DWSM) समिति की दिनांक 24.8.21 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शासनदेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ लखनऊ, दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृण बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मुल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित **''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन''** समिति की बैठक दिनांक 19.07.2021 को आयोजित की गयी है। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी,	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य।	सदस्य
5	Integra Tribal Development Agency (ITDA)/ Integra Tribal Development Programme (ITDP) जिलों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर	सदस्य
6	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
11	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
12	अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति–जल प्रबन्धन सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक विकास	सदस्य
13	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम, बरेली।	सदस्य
14	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम	सदस्य सचिव

1. सदस्य (सचिव)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु फर्म मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, हैदराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति'' द्वारा फर्म को 704 ग्राम पंचायतों (1489 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राक्कलन विरचित किये गये हैं जिसकी जल निगम द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गयी कार्यों की दरें SWSM शड्यूल रेट के आधार पर ली गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीक्रत प्रतिव्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष–2052 के लिए विरचित किया गया है।

2. दिनांक 19.07.2021 को आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में सदस्य (सचिव)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया था कि फर्म मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, हैदराबाद को ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति'' द्वारा फर्म को 704 ग्राम पंचायतों (1489 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। जिसमें 31.05.2021 एवं 19.07.2021 को समिति द्वारा स्वीकृत 65 नग डी0पी0आर0 अधिशासी निदेशक, नमामि गंगे तथा

जलापूर्ति विभाग, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है। इसी क्रम में आज बैठक में पुनः 94 नग डी0पी0आर0 "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 94 नग डी0पी0आर0 का तननीकी परीक्षण किय गया एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित करते हुए प्राक्कलनों का तकनीकी परीक्षण निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू0 से कम रखी गई है, जिसकी पुष्टि तालिका के अन्त में अंकित औसत से स्पष्ट है।
2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से अधिक है, उन योजनाओं का स्थलीय परीक्षण करा लिया गया है एवं समस्त प्रस्ताव का मूल्यांकन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग पलान्ट की डिजाइन में हैड अधिकतम 50 मीटर के आधार पर ही प्रस्तावित किया गया है। इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता विद्युत यान्त्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गई है।
5. जिन योजनाओं में रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्यस्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाईन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गई है एवं आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अन्तर्गत ही प्रस्तावित की गई है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गई है।
8. वितरण प्रणाली में सैन्ड बेडिंग का प्राविधान नहीं किया गया है।
9. जलकल परिसर में सामान्यतः मिट्टी भराई प्रस्तावित नहीं है। जिस ग्राम पंचायत में जल कल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य है, की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गई है एवं इसी आधार पर संस्तुति करते हुए डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नहीं किया गया है।
11. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति समिति रखी गयी है, उनसे किसी भी किसी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नहीं हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियन्ताओं की देख–रेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आइ0 द्वारा लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नहीं किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्णय लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजना में प्रस्ताव का परीक्षण मौके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एवं इन कार्यों के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उद्देश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु तकनीकी परीक्षणोंपरान्त 94 नग प्राक्कलन समिति के समक्ष संस्तुति हेतु प्रस्तुत हैं।

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1197/छियत्तर–1–2021–25सम/2019, दिनांक 21.05.2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों को नियमानुसार रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं को जिला स्तर पर "जिला

DDO P.D.

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुति कर अधिशासी निदेशक ''राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' लखनऊ को स्वीकृति की अग्रेतर कार्यवाही हेतु संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल
निगम, बेरली।
(सदस्य)

अधि. अभियन्ता,
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता वाटर
रिर्सोसेस/सिंचाई, शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क
अधिकारी, शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता,
ग्राउण्ड वाटर,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

जिला विकास
अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास
अभिकरण,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
(सदस्य)

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
''जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति''
शाहजहाँपुर।

जलापूर्ति विभाग, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है। इसी क्रम में आज बैठक में पुनः 94 नग डी0पी0आर0 "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 94 नग डी0पी0आर0 का तननीकी परीक्षण किय गया एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित करते हुए प्राक्कलनों का तकनीकी परीक्षण निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

1. योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू0 से कम होनी चाहिए, परन्तु यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से अधिक आती है, तो इसका परीक्षण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा करते हुए कारणों का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाये।
2. जिन योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से ज्यादा हो, उनको विशेषरूप से सक्षम स्तर से परीक्षण करा लिया जाये।
3. पम्पिंग पलान्ट की डिजाइन में हैड अधिकतम 50 मीटर होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में हैड 50 मीटर से अधिक होने पर इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता विद्युत यान्त्रिक द्वारा करते हुए प्रतिवेदन में अंकित किया जाये।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना होनी चाहिए।
5. रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, कि इस कार्य की मात्रा कार्यस्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाईन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की जायेगी, परन्तु आधार वर्ष से अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच होनी चाहिए।
8. वितरण प्रणाली में सेन्ड बेडिंग नहीं देय होगी।
9. जलकल परिसर में मिट्टी भराई अनुमन्य नही होगी। जल कल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य होने की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की जाये एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्पष्ट संस्तुति करते हुए डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जाये।
10. स्पेयर पम्पस हेतु प्रावधान अनुमन्य नहीं होगा।
11. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति समिति रखी गयी है, उनसे किसी भी किसी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन तो नहीं हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियन्ताओं की देख–रेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आइ0 द्वारा लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाये।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नहीं किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्णय लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजना में प्रस्ताव का परीक्षण मौके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एवं इन कार्यों के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उद्देश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु तकनीकी परीक्षणोंपरान्त 94 नग प्राक्कलन समिति के समक्ष संरतुति हेतु प्रस्तुत हैं।

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1197/छियत्तर–1–2021–25सम/2019, दिनांक 21.05.2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों को नियमानुसार रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं को जिला स्तर पर "जिला